फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी ....परसराम भोई............... विपक्षी ....लक्ष्मण भोई........................

किस्म मुकदमा..............प्रार्थना पत्र......... पत्रावली संख्या..........124........सन......2019.......

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 14.11.2019 पत्रवाली पेश हुई। प्रकरण में पैरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण साक्ष्य वादी जिरह हेतु विचाराधीन है। न्यायालय समय में रूक–रूक कर तीन बार आवाज भी दिलवायी गयी किन्तु प्रार्थी/वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी/विपक्षी की ओर से भी जिरह हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। जिससे प्रकट होता है कि पक्षकार अपने प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं हैं। अथवा उनके मध्य किसी प्रकार का कोई समझौता हो गया है जिससे वे प्रकरण में पैरवी नहीं करना चाहते है। न्यायालय द्वारा बार–बार अवसर दिये जाने के बावजुद पैरवी हेतु उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सपठित धारा 151 जा.दी. इसी स्टेज पर पैरवी के अभाव में अदम पैरवी खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। डा0 मंजु (आइ.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) गिर्वा – उदयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2019.11.21 15:54:36 IST
Reason: SelfAttested